न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0आर0 सं0–03/2014–15

सुरजमुनी हांसदा वगैरह
बनाम
मिनिस्टर सोरेन वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

10.05.2022

आदेश

यह रिविजन वाद मुल रिविजनकर्त्ता दिबली हेम्बम, पिता–स्व0 मुन्शी हेम्ब्रम, सा0–सिमलजोड़ी, थाना–महेशपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के राजस्व विविध वाद सं0–45/1959–60 में दिनांक 06.10.1962 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। मूल रिविजनकर्त्ता की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वैध उत्तराधिकारी उनकी पत्नी सुरजमुनी हांसदा एवं दो पुत्रों मटरू हेम्ब्रम एवं मेराजन हेम्ब्रम को उनके स्थान पर पक्षकार बनाया गया। इस वाद में विपक्षी पक्षकार मिनिस्टर सोरेन, पिता–स्व0 सरकार सोरेन, ग्राम प्रधान मौजा–सिमलजोड़ी एवं 16 आना रैयत मौजा–सिमलजोड़ को बनाया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अंचल–महेशपुर के मौजा–सिमलजोड़ी के जमाबन्दी सं0–02, 06 एवं 11 को फौती (Vacant) घोषित करने हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान बड़ा बरसा सोने के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया था। उक्त आवेदन पर राजस्व विविध वाद सं0–05/1959–60 संस्थित करते हुए सुनवाई की गई तथा दिनांक 31.05.1962 को पारित आदेश द्वारा जमाबन्दी सं0–02 एवं जमाबन्दी सं0–06 को फौती घोषित किया गया जबकि जमाबन्दी सं0–11 को फौती घोषित नहीं किया गया।

यह रिविजन वाद जमाबन्दी सं0–06 को फौती घोषित करने संबंधी उक्त आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

रिविजनकर्त्ता का कहना है कि मौजा–सिमलजोड़ी का जमाबन्दी सं0–06 विगत सर्वे खतियान में धानो हांसदा एवं अन्य के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत धानों हांसदा की कोई पुत्र–पुत्री नहीं होने के कारण उनके द्वारा अपनी सगी बहन मेलचो हांसदा के पुत्र मुन्शी हेम्ब्रम को 05.08.1951 में गोद ले लिया एवं इस संदर्भ में एक ग्रामीण कागजात का निष्पादन कर

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

दिया गया, जिसमें कई ग्रामीणों के साथ–साथ तत्कालीन ग्राम प्रधान बरसा सोरेन के द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया है।

गोद लेने के बाद मुंशी हेम्ब्रम खतियानी रैयत धानो हांसदा के घर पर रहने लगे एवं उनकी मृत्यु के बाद मुन्शी हेम्ब्रम (मूल रिविजनकर्त्ता के पिता) को जमाबन्दी सं0–06 की सम्पूर्ण भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। मुन्शी हेम्ब्रम प्रश्नगत भूमि का शांतिपूर्ण भोग दखल करते रहे एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान बरसा सोरेन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सरकार सोरेन के द्वारा मुंशी हेम्ब्रम को लगान रसीद भी निर्गत किया गया। मुन्शी हेम्ब्रम की मृत्यु के बाद मूल रिविजनकर्त्ता को भी लगान रसीद निर्गत किया गया। परन्तु वर्त्तमान ग्राम प्रधान द्वारा लगान रसीद यह कहकर निर्गत नहीं किया गया कि प्रश्नगत भूमि फौती घोषित है।

उनका आगे कहना है कि रिविजनकर्त्ता को विज्ञ अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के कि0 मिस0 वाद सं0–316/2013 में सुनवाई के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–06 को विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के रा0वि0 वाद सं0–05/1959–60 में पारित आदेश द्वारा फौती घोषित कर दिया गया है।

उनका आगे कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। कोई जोत केवल तभी फौती घोषित किया जा सकता है जब इस जोत का कोई वैध उत्तराधिकारी न हों। संथाल समाज में सामान्यतः पूरूष ही सम्पति का उत्तराधिकारी होता है परन्तु यदि किसी को पुत्र न हो एवं केवल पुत्रियां हो तो उनकी घरजमाई शादी के बाद ही वो सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकती है। उनका आगे कहना है कि खतियानी रैयत का कोई वंशज चाहे वो कितनी ही दूर का क्यों न हो अगर खतियानी रैयत से उनका खून का संबंध है तो वो वैध उत्तराधिकारी होगा।

उनका आगे कहना है कि खतियानी रैयत धानो हांसदा के द्वारा मुन्शी हेम्ब्रम (मूल रिविजनकर्त्ता के पिता) को गोद लिया गया था। इस प्रकार वे खतियानी रैयत के वैध उत्तराधिकारी हुए। वैध उत्तराधिकारी के रहते हुए प्रश्नगत भूमि को फौती घोषित करना उचित नहीं है। उनका आगे कहना है कि वर्ष 1993 में तत्कालीन ग्राम प्रधान सरकार सोरेन के द्वारा एक शपथ पत्र निष्पादित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि धानो हांसदा की एकमात्र बहन थी जिसकी शादी ठाकुर हेम्ब्रम के साथ मौजा–गिरिपानी में हुई थी। दिबली हेम्ब्रम उक्त ठाकुर हेम्ब्रम का पौत्र है तथा दिबली हेम्ब्रम खतियानी रैयत धानो हांसदा

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

का एकमात्र वारिस है।

रिविजनकर्त्ता द्वारा रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी का कहना है कि रिविजनकर्त्ता का प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत धानो हांसदा से कोई संबंध नहीं है तथा यह बाहरी व्यक्ति है जो मूल रूप से गिरिपानी मौजा के रहने वाले है। खतियानी रैयत की नावल्द मृत्यु हुई थी तथा उनके द्वारा किसी को पोष्यपुत्र नहीं रखा गया था। खतियानी रैयत का कोई वारिस नहीं रहने के कारण प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–06 को फौती घोषित किया गया जो बिल्कुल सही है। रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल पोष्यपुत्र नामा तथा शपथ पत्र जाली एवं फर्जी है।

उनके द्वारा रिविजन आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संदर्भित अंश निम्नवत् है– " An objection petition has been filed ....."

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्त्ता के दावे को केवल इस आधार पर खारिज किया गया कि 16 आना रैयतों को नोटिस तामिला कराया गया परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए जबकि आपत्तिकर्त्ता का यह दावा था कि खतियानी रैयत जीवित है, परन्तु वे किसी अन्य गांव में रहते है। साथ ही यह भी पाया गया कि सुक्सेन हांसदा (खतियानी रैयतों में से एक) 20 वर्षो से गांव छोड़ दिए हैं और उनके द्वारा ग्राम प्रधान को लगान अदा नहीं किया जा रहा है।

यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है कि खतियानी रैयत के केवल गांव से बाहर अन्यत्र रहने एवं प्रधान को लगान भुगतान नहीं किये जाने के आधार पर प्रश्नगत भूमि को फौती घोषित कर दिया गया। जबकि फौती तभी किया जा सकता है जब बिना किसी वंशज के यह बिल्कुल स्पष्ट हो कि कोई वैध उत्तराधिकारी जीवित नहीं हैं। बिना इस बात का पता लगाए ही फौती संबंधी आदेश त्रुटिपूर्ण है।

अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक 282/रा0, दिनांक 05.04.2022 के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–06 के खतियानी रैयतों में से एक सुक्सेन हांसदा के वंशज जीवित है एवं वर्त्तमान में मौजा –रोलाग्राम में रह रहे है।

यह रिविजन वाद प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–06 को फौती घोषित किये जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध है, एवं इस मामले में केवल यह देखा जाना है कि प्रश्नगत जमाबन्दी

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

सं0–06 का कोई वैध उत्तराधिकारी है अथवा नहीं।

इस मामले में प्रश्नगत जमाबन्दी के दो दावेदार है। एक रिविजनकर्त्ता एवं दूसरा जांच प्रतिवेदनानुसार खतियानी रैयत सुक्सेन हांसदा के उत्तराधिकारी कमलिनी मुर्मू है। एक के द्वारा खतियानी रैयत धानो हांसदा के पोष्यपुत्र के आधार पर दावा किया जा रहा है जबकि दूसरे के द्वारा उसी जमाबन्दी के दूसरे खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर।

रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल पोष्यपुत्र नामा एवं शपथ पत्र को किसी समक्ष न्यायालय द्वारा रद्द/निरस्त करने संबंधी कोई आदेश इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अतः उक्त कागजातों को अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमाबन्दी सं0–06 के वैध उत्तराधिकारी जीवित है, ऐसे में फौती घोषित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

जांच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वर्त्तमान में ग्राम प्रधान मिनिस्टर सोरेन द्वारा विगत कई वर्षो से दखल–कब्जा किया जा रहा है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए इसे आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है एवं जमाबन्दी सं0–06 को फौती घोषित करने संबंधी आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
पाकुड़।

उपायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.06 17:18:04 +05:30
Location: 192.168.1.100

Scanned with CamScanner